निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

--

प्रार्थना पत्र संख्या
35/2022

फैसल दिनांक
25.05.2022

अनवान

कालुलाल पिता शंकर लाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---प्रार्थी

।। बनाम ।।

भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

---विपक्षी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित - श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी

प्रार्थी ने अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार पेश प्रस्तुत किया:-

प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की भूमि वाके मौजा अमरपुरा प0ह0 धीरजी का खेडा तहसील भदेसर की आराजीयात जिसके नये खाता संख्या 60 पर दर्ज आरजी नम्बर 214 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 215 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 216 रकबा 0.30 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 307 रकबा 0.39 हैक्टेयर किता 04 कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर भूमि स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2066 से 2069, मिलानशीट एवं विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 307/2 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थी कालूलाल पिता शंकरलाल माली ने खातेदार जगदीश पिता दोला माली निवासी अमरपुरा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 40000/- अक्षरे चालीस हजार रूपये में दिनांक 03.05.2011 को खातेदार जगदीश का बनने वाला 1/4 हक हिस्सा क्रय किया। विक्रय पत्र का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय चित्तौड़गढ़ में

उपखण्ड अधिकारी

हृत कराया एवं कब्जा भी प्रार्थी ने तत्कालीन खातेदार से प्राप्त किया उसी से प्रार्थी खरीदशुदा अराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ है।

यह कि प्रार्थी क्रयशुदा आराजीयात का नामांतरकरण इंतकाल नम्बर 281 ांक 05.05.2011 को अपने नाम दर्ज करवा लिया। परंतु वर्तमान ाबंदी में प्रार्थी का नाम विलोपित करते हुए प्रार्थी द्वारा खरीद की गई राजीयात पुनः खातेदार विक्रेता के नाम 1/4 हक हिस्सा दर्ज कर दिया है ससे राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई उक्त त्रुटि को दुरूस्त करते हुए क्रेता खातेदार जगदीश पिता दोला माली का नाम 1/4 हक हिस्से से लोपित किया जाकर प्रार्थी कालुराम पिता शंकरलाल का नाम 1/4 हक स्से से दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई उक्त त्रुटि जिसके चलते प्रार्थी को ई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड रहा है जिससे रेकार्ड में की ई त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से यह प्रार्थना त्र पेश किया है।

यह कि प्रार्थी खातेदार के कब्जेशुदा भूमि की जमाबंदी एवं जमाबंदी भू प्रबंधक विभाग की प्रमाणित प्रति पटवार हल्का से दिनांक 16.03.2022 को प्राप्त करने पर रेकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी हुई तब से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात के खातेदार जगदीश पिता दोला माली का 1/4 हक हिस्से में से नाम विलोपित किया जाकर प्रार्थी के नाम 1/4 हक हिस्सा का दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से सम्मन तलब किया गया।

लायक अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी जिन्होनें प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थी खरीद दिनांक से ही काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी के खातेदारी की आराजीयात को

उपखण्ड अधिकारी
-चित्तौड़गढ़

किसी सक्षम आदेश के पुर्व खातेदार जगदीश पिता दोला माली के नाम कर दिया है। अतः राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त हुए जगदीश पिता दोला माली का नाम विलोपित किया जाकर पुनः की खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना के समर्थन में प्रार्थी ने निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये है :-

1. नकल जमाबंदी साबिक मौजा अमरपुरा संवत् 2066-2069
2. नकल जमाबंदी नवीन खाता सं. 60 मौजा अमरपुरा संवत् 2076
3. रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 03.05.20211

उपरोक्त विवेचन, प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 36 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है कि मौजा अमरपुरा प0ह0 धीरजी का खेडा तहसील भदेसर की खाता संख्या 60 पर दर्ज आरजी नम्बर 214 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 215 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 216 रकबा 0.30 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 307 रकबा 0.39 हैक्टेयर किता 04 कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर में से प्रार्थी द्वारा खरीदशुदा 1/4वां हिस्सा राजस्व कर्मचारियो ने पुनः पूर्व खातेदार जगदीश पिता दोला माली निवासी अमरपुरा के नाम दर्ज कर दिया है। अतः उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से 1/4वां हक हिस्सा जो प्रार्थी के खातेदारी में था को पुनः प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज जाकर पूर्व खातेदार जगदीश पिता दोला माली का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरमामद किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भदेसर को पालनार्थ भिजाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,